पत्रांक–10/मार्ग0–11–(मुंगेर)–7/2014सा0प्र0 2341/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

पटना, दिनांक– 19-2-14

विषय:– सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अहर्त्ता की सशर्त्त छुट के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–40 दिनांक 08.01.2014 सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अहर्त्ता की सशर्त्त छुट के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्राप्त अनुरोध पत्र के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–1073 दिनांक 18.12.2008 की कंडिका–3 में उक्त के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि **"राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणितक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।"**

विश्वासभाजन

(सिद्धेश्वर चौधरी) 19/2/2014

सरकार के अवर सचिव।